न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

PBR/निगरानी/भोपाल/स्टांप अधि/2017/6034 प्र.क्र.......................

मे0 सी0आई0 बिल्डर्स/इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.

मार्फत प्रबंध संचालक श्री राकेश मलिक

आ0 स्व0 श्री जगप्रवेश मलिक

निवासी-182, जोन-1, एम0पी0 नगर, भोपाल - पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. श्री भूगड़ोबल
2. श्री सतीश कुमार
3. तारांचद
4. प्रकाशचंद

सभी पुत्रगण स्व0 श्री झामनदास एवं अन्य

निवासी-बेतवा अपार्टमेंट, टी0टी0 नगर

भोपाल म0प्र0

5. म0प्र0 शासन द्वारा

उप पंजीयक, भोपाल म0प्र0 - अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 11-12-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-12-17
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर
पे.दि. 3-1-18

Recd 11/12/17
शाखा प्रभारी (सि.अ.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 56 (4) भारतीय मुद्रांक अधिनियम

उक्त पुनरीक्षण अधी0 न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा प्र.क्र.83/बी-103/48(ख)/08-09 में पारित आलोच्य आदेश दि.28.01.14 के विरूद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर ज्ञान दि. 06/11/17 से प्रस्तुत की जा रही है।

कार्यालय उपयोग हेतु

प्रकरण कमांक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/स्टाम्प अधि./2017/6034

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषव आदि के हस्ताक्षर
23 -8-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-1-2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11-12-17 को लगभग तीन वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का मुख्य कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना नहीं दिया जाना दर्शाया गया है, जबकि आवेदक के अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होते रहे हैं और उनके अनुपस्थित रहने पर आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अतः आवेदक द्वारा विलम्ब के संबंध में बताये गये कारण समाधानकारक नहीं हैं । इस सम्बंध में 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	